सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 31 आषाढ़, 1947 (श०) / 22 जुलाई, 2025 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 133

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	97
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	04
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	02
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	07
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	07
(6)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	03
(7)	परिवहन विभाग	..	..	06
(8)	खेल विभाग	..	..	05
(9)	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	..	..	02
			कुल योग --	133

भवन का निर्माण

*1. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड-आमस के पंचायत अकौना स्थित प्राथमिक विद्यालय, कोरमथू SC में 128 बच्चों के पठन-पाठन का कार्य एक ही वर्ग कक्ष में किया जाता है, जिससे बच्चों के शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है प्रखंड-आमस के पंचायत महुआवां के ग्राम-प्राणपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने से बच्चों को सुदूर क्षेत्रों में जाकर पढ़ना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर क्रमश: विद्यालय का नया भवन एवं नया विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2. श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के पोसदाहा पंचायत वार्ड संख्या चार स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंदा में चहारदीवारी निर्माण नहीं होने से विद्यालय परिसर में पशुओं का चारागाह बना रहता है, जिससे छात्र-छात्राओं एवं शिक्षा कर्मियों को पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*3. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे, यदि हाँ, तो कटिहार जिलान्तर्गत कदवा तथा डण्डखोरा प्रखंड में कबतक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क से पेड़ हटाना

*4. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में एन0एच0 83 पर एरकी गाँव के पास तथा शाहो बिगहा परावन आर0सी0डी0-सड़क पर डैडिह गाँव के सामने सड़क के बीचो-बीच पेड़ खड़ा है, जिससे आये दिन दुर्घटना घट रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सड़क के बीच में पेड़ रूपी अवरोधक के साथ सड़क बनाने वाली एजेंसी एवं अन्य दोषियों पर कार्रवाई करते हुये सड़क के बीच से पेड़ हटवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*5. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-09 सिकटा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले के सिकटा और मैनाटांड़ प्रखंडों में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरे का निर्माण

*6. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड-कोटवा के जसौली पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जसौली, जमुनिया वृति टोला उर्दू का भवन जर्जर है, जिसके कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में नये 3 ए0सी0आर0 कमरे का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का ढलाई कराना

*7. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के बिहपुर प्रखंड अन्तर्गत लत्तीपुर उत्तर पंचायत में वार्ड 13, मुशहरी में सत्तर घर महादलित परिवार के रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि महादलित परिवार में शौचालय और पीने के पानी का अभाव है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त मुशहरी में एक सामुदायिक भवन है जिस पर ढलाई नहीं होने के कारण पानी टपकता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक भवन का ढलाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वर्गकक्ष का निर्माण

*8. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखंड अन्तर्गत 10+2 उच्च विद्यालय, मण्डाछ, 10+2 उच्च विद्यालय, तारापुर, प्राथमिक विद्यालय, गोनाई विगहा तथा प्राथमिक विद्यालय, लाला विगहा में छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन के लिये अपेक्षाकृत वर्ग कक्ष उपलब्ध नहीं है जिससे पठन-पाठन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*9. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा के बाबूबरही प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाबूबरही-खुटौना सीमा पर बाबूबरही प्रखंड अन्तर्गत तेघरा पंचायत के दोनवारी में चेथरू महाविद्यालय है, परन्तु भवन एवं सारे प्रशासनिक कार्य खुटौना प्रखंड से सम्पादित होते हैं जिसके कारण छात्र/छात्राओं को नामांकन कराने में कठिनाइयों का सामना के साथ नामांकन के अभाव में छात्र/छात्राएं को डिग्री स्तर की शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बाबूबरही प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*10. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दयानन्द विद्यालय +2 उच्च विद्यालय, मीठापुर, पटना में फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में नामांकन कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिसम्बर माह से अबतक छात्र-छात्राओं से नामांकन में ली गई राशि लगभग 12 लाख को विद्यालय के खाता में प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा जमा भी नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर नामांकन में ली गई राशि को विद्यालय खाता में जमा नहीं करने की जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त भवन का निर्माण

*11. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-1 प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चंदरपुर रतवल के चंदरपुर भिड़ारी मध्य विद्यालय को अपग्रेड करके +2 विद्यालय में परिणत कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि परिणत +2 विद्यालय पूर्व के मध्य विद्यालय के भवन में ही संचालित होता है, जहाँ बच्चों की संख्या 600 से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुये कबतक विद्यालय में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कारखाना को स्थानांतरित करने के संबंध में

*12. श्री राम रतन सिंह (क्षेत्र संख्या-143 तेघरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना सदर प्रखंड के थाना सुल्तानगंज के खान मिर्जा लेन के निकट इंडो सर्जिकल कारखाना नियम के विरुद्ध रिहायशी इलाका में खुला हुआ है, जिससे वहाँ कचरा खुलेआम गली के मोड़ पर फेंक दिये जाने के कारण कई तरह की बीमारियाँ उस इलाके में हो रही है, साथ ही ध्वनि प्रदूषण से उक्त क्षेत्र में छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कारखाना को दूसरे जगह स्थानांतरित करने या बंद करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार देना

*13. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरियाकोठी)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अरवल, सीवान, खगड़िया, गोपालगंज इत्यादि इंजिनियरिंग कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर के रहते हुए असीस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली, मुंगेर, जमुई, नवादा, मधुबनी इंजिनियरिंग कॉलेजों में भी तकनीकी एसोसिएट प्रोफेसर के रहते गैर-तकनीकी प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित जिलों के इंजिनियरिंग कॉलेजों में असीस्टेंट प्रोफेसर के बदल एसोसिएट प्रोफेसर तथा खण्ड (2) में वर्णित जिलों के इंजिनियरिंग कॉलेजों में गैर-तकनीकी प्रोफेसर के बदले तकनीकी प्रोफेसर को प्राचार्य का प्रभार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुभव को यथावत रखना

*14. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजा पाकर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैधानिक रूप से अपनी माँगों के लिये हड़ताल में गये आँगनबाड़ी पर्यवेक्षकों को सजा के रूप में उनके 17 वर्षों के अनुभव को घटाकर 09 वर्ष कर दिया गया है, जो सेवा शर्तों एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक आँगनबाड़ी पर्यवेक्षकों को हड़ताल की सजा में कम किये गये अनुभव को यथावत रखने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

एरियर का भुगतान

*15. श्री सुर्यकान्त पासवान (क्षेत्र संख्या-147 बखरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2025 में ही शिक्षकों के बाकी एरियर भुगतान का आदेश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी बेगूसराय के शिक्षकों के एरियर का भुगतान नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों के एरियर भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*16. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के ढोलबज्जा पंचायत के वार्ड-12 नवटोलिया महादलित बस्ती में प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि एवं एनओसी विभाग को मिलने के बाद भी अबतक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन नहीं रहने के छोटे-छोटे छात्रों को दूर दूसरे टैग विद्यालय आने-जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वैध वेंडरों से राशन उठाना

*17. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बायसी प्रखंड अन्तर्गत एम0डी0एम0 प्रभारी द्वारा सभी विद्यालयों में निजी वेंडर जो पटना के है, उनके द्वारा विद्यालयों में जबरन राशन एवं गैस का उठाव किया जाता है, जबकि बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार स्थानीय वेंडर से विद्यालय को राशन लेना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा एम0डी0एम0 प्रभारी के कहने पर राशन उठाव नहीं करने पर उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी को दण्डित करते हुए नियमानुसार वैध वेंडरों से राशन उठाव कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*18. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के चेवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत लहना पंचायत के ग्राम-भलुआ के केन्द्र सं0-11 में विगत 10 वर्षों से आँगनबाड़ी केन्द्र का भवन जर्जर है तथा सियानी पंचायत के ग्राम-उकसी के केन्द्र सं0-11 में विगत 8 वर्षों से आँगनबाड़ी केन्द्र का भवन जर्जर रहने के कारण अन्यत्र स्थानों पर संचालन किया जा रहा है, जिससे कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्रांक 396/2024, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 एवं पत्रांक 304/2024, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 को भवन निर्माण से संबंधित विभागीय मंत्री को पत्र देने के बावजूद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर जर्जर हो चुके भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षण व्यवस्था बहाल करना

*19. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले महीनों तक बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष/सभापति की नियुक्ति नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभापति के अभाव में मदरसों में शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है, फलस्वरूप सैकड़ों मदरसा शिक्षक विहीन हो गए जिसके कारण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मदरसों में कबतक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए नियमित शिक्षण व्यवस्था बहाल करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

*20. श्री छोटे लाल राय (क्षेत्र संख्या-121 परसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत प्रखंड-दरियापुर के आदर्श युवक उच्च विद्यालय, बरूआ एवं रघुनाथ जगरनाथ उच्च विद्यालय, विश्वम्भरपुर तथा प्रखंड-परसा के उच्च विद्यालय, माड़र एवं उच्च विद्यालय, बहमाड़र के भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है एवं खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क हादसों पर रोकथाम

*21. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 जून, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''चिंता : बिहार में हर रोज औसत 27 सड़क हादसे, 21 की जा रही जान'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2017 में हर रोज हुई 24 सड़क हादसों में 15 लोगों, वर्ष 2022 और 2023 में प्रतिदिन 30 सड़क दुर्घटनाओं में 24 लोगों को जान गंवानी पड़ी, वहीं वर्ष 2024 में 32 सड़क हादसों में 25 लोगों की मृत्यु हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में पिछले 08 वर्षों में 80 हजार सड़क दुर्घटनाओं में 60 हजार से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार में सड़क हादसों पर रोकथाम के लिए कौन-सा उपाय करना चाहती है और कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*22. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला अंतर्गत दरयानि प्रखंड के नरवारा ग्राम में गोखुल जगत +2 हाई स्कूल अवस्थित है जिसमें छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु भवन नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का संचालन

*23. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुरौल प्रखंड के लिये स्वीकृत अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय विगत कई वर्षों से 45 कि0मी0 दूर महिला शिल्प कला भवन, मुजफ्फरपुर में संचालित है जिससे छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मुरौल प्रखंड अंतर्गत ही सरकार के डायट (DIET) भवन का अन्य स्थानों पर उक्त विद्यालय को संचालित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि--

• वर्ष-2024-25 में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत डॉ0 भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, मुरौल के लिए प्रखंड-मुरौल में भूमि अनुपलब्धता के कारण निकट के प्रखंड-बंदरा में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

कॉलेज का आवंटन

*24. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद सभी विद्यार्थियों को ग्यारहवीं में नामांकन हेतु ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समिति द्वारा विद्यार्थी के घर से कॉलेज की दूरी को ध्यान में रखते हुए बिना 30-40 किलो मीटर दूर कॉलेज आवंटित किया जाता है जिसके कारण ड्रॉप आउट 50 प्रतिशत बढ़ गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों को नामांकन हेतु उनके घर के नजदीक कॉलेज आवंटित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*25. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के सहुरी पंचायत में उच्च विद्यालय सहुरी के नये भवन निर्माण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा राशि का आवंटन वित्तीय 2023-2024 में करने एवं अंचल अधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र मार्च 2025 में समर्पित करने के बावजूद निविदा के प्रक्रिया के अभाव में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यापालक अभियंता BSEIDC-मुंगेर जिला बेगूसराय के द्वारा प्रेषित पत्रांक BSEIDC/MUN/EE-23C-05/25, दिनांक 23 मई, 2025 को मुख्य अभियंता BSEIDC पटना को नये भवन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग के बावजूद अबतक लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद निविदा की प्रक्रिया में विलंब करने वाले पदाधिकारी पर नियमानुकुल कार्रवाई करते हुये नये भवन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*26. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के दिघवारा प्रखंडान्तर्गत हाराजी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय पकवलिया का भवन जर्जर है, जो कभी भी गिरने के कगार पर है जिसकी मरम्मती कार्य हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा निविदा सूचना संख्या 01/2025-26 निकाला गया है जबकि भवन काफी जर्जर होने के कारण मरम्मती कार्य कराना संभव नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*27. मो० अफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा, पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में पूर्णियाँ के श्रीनगर में डिग्री कॉलेज नहीं खुला है जबकि राजकीय उच्च विद्यालय, श्रीनगर में 150 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है और डिग्री कॉलेज खोलने की सभी अहर्ताएँ पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर खाली सरकारी जमीन पर डिग्री कॉलेज का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*28. श्री फते बहादुर सिंह (क्षेत्र संख्या-212 डेहरी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट प्रखंड के बेनसागर पंचायत के ग्राम बेनसागर निवासी स्व० पिंकी कुमारी, आँगनबाड़ी सेविका वार्ड नं०-5 में कार्यरत थी, की मृत्यु दिनांक 25 अगस्त, 2023 को सेवाकाल में हुई थी, परन्तु दो वर्ष बाद भी मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करना

*29. श्री दामोदर रावत (क्षेत्र संख्या-242 झाझा))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्वामी विवेकानन्द जी स्वास्थ्य लाभ के लिये माह जून 1889 में जमुई जिलान्तर्गत सिमुलतला में अपने एक निकटस्थ के स्वास्थों कोठी में कुछ दिनों के लिये ठहरे थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में उक्त आवास सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला में परिसीमा के अन्दर अवस्थित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित एवं समवर्द्धित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडर्न विद्यालय बनाना

*30. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी प्रखंड में मॉडर्न विद्यालय बनाने हेतु अम्बीका उच्च विद्यालय ढेकहाँ (सिरसा) चयनित है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मॉडर्न विद्यालय बाउंड्री सहित बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री महाविद्यालय खोलना

*31. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोलने हेतु सभी जिला समाहर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम पंचायत अगहरा में अगहरा बुनियादी विद्यालय-सह-उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सरकारी जमीन खाता संख्या-364, तौजी सं०-2256, सर्वे सं०-421, 441, 309 और 445, रकबा-20 बीघा उपलब्ध होने के बावजूद डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम पंचायत अगहरा में उक्त विद्यालय परिसर में उपलब्ध सरकारी जमीन पर डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जांच

*32. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी प्रखंड के हरदिया पंचायत के ग्राम रामपुर पचासी उच्च विद्यालय के निर्माण का कार्य संवेदकों द्वारा मानक गुणवत्ता के स्तर पर नहीं किया जा रहा है एवं सही मैटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार निर्माण कार्य की अनियमिता की जांच कराते हुये इसे कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रस्ताव की मंजूरी देना

*33. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नबीनगर स्थित रामनगर पंचायत के पहरलेवा एवं खोढ़ी पहाड़ी में गारलैंड ट्रैंप निर्माण हेतु प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा विभाग को प्राप्ति के बावजूद अबतक स्वीकृति नहीं मिल पायी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रस्ताव को मंजूर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन निर्माण के सम्बंध में

*34. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड के तरछा दामुचक पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय चौमुख का भवन जर्जर है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन पाठन में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय की चहारदीवारी एवं गेट नहीं रहने के कारण कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन, चहारदीवारी आद मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी/घेराबंदी कराना

*35. श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-06 नौतन)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत उदयपुर जंगल के आधे भाग की चहारदीवारी/घेराबंदी नहीं होने के कारण जंगली जानवर किसानों के फसलों को क्षति पहुँचा रहे है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जंगल की पूर्ण चहारीदवारी/घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*36. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बंजरिया प्रखंड के फुलवार उतरी पंचायत के ग्राम घोड़मरवा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय एक छोटा कमरा में तथा छौड़ादानों प्रखंड का उच्च विद्यालय गड़हल जर्जर भवन में संचालित होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विद्यालय में भवन नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शीघ्र भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*37. डॉ० संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के भरसों उत्क्रमित उच्च विद्यालय (10+2) भवनहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय अभी मध्य विद्यालय में संचालित होने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी, परबत्ता द्वारा कई माह पूर्व ही विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पाँच कट्ठा जमीन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करा दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पिंक बस परिचालन

*38. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत महिलाओं के आवागमन में सुविधा के लिये सरकार द्वारा टेकारी से गयाजी के लिये स्पेशल पिंक बस का परिचालन किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बस का परिचालन बथानी से मौलानगर, टेठसा खिजरसराय होते हुये गयाजी तक नहीं होने से उक्त क्षेत्र के महिलाओं को पिंक बस से आवागमन का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महिलाओं के आवागमन की सुविधा के लिये बथानी से मौलानगर, टेठसा, खिजरसराय होते हुये गयाजी तक पिंक बस का परिचालन करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विकास राशि प्रदान कराना

*39. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां सहित राज्य भर में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) विद्यालयों जिनकी संख्या 108 है, में कार्यरत शिक्षकों को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है किन्तु पिछले चार वर्षों से समग्र विकास मद में रख-रखाव हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य विद्यालयों को प्रतिवर्ष 75000 रुपये तक की राशि साफ-सफाई, मरम्मत, बेंच-डेस्क व अन्य आवश्यक कार्यों के लिये दी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णियाँ के तीन विद्यालय भट्ठा मध्य विद्यालय, (बंगला), उर्स लाइन स्कूल (हिन्दी) एवं भट्ठा दुर्गाबाड़ी विद्यालय को वित्तीय समता के आधार पर समग्र विकास राशि प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बी०बी०ए० कोर्स प्रारंभ करना

*40. श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़, कैमूर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड रामगढ़ में ग्राम भारती महाविद्यालय, रामगढ़ अवस्थित है, जिसमें बी०बी०ए० की पढ़ाई वर्ष 2021 से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के पत्रांक 951, दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा ए०आई०सी०टी०ई० से ग्राम भारती महाविद्यालय, रामगढ़ के लिये शैक्षणिक सत्र-2025-26 के लिये बी०बी०ए० कोर्स की मान्यता प्रदान किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महाविद्यालय में मान्यता प्राप्त होने के बाद बी०बी०ए० कोर्स प्रारंभ कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*41. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखंड के पंचायत बकसड़ा के ग्राम-बहुआरा में आजतक एक भी विद्यालय नहीं है, जबकि वर्ष 1989 में ही ग्रामीणों द्वारा विद्यालय निर्माण हेतु 1 (एक) एकड़ भूमि जिसका खाता नं० 81 एवं खेसरा (प्लॉट) नं० 249 है, चिन्हित कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बहुआरा ग्राम में पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं दलित आबादी बहुसंख्यक है तथा यहां के बच्चे 4 कि०मी० की दूरी तय कर दूसरे ग्राम के विद्यालयों में जाकर पढ़ने को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-बहुआरा में विद्यालय निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*42. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तरैया प्रखंड के उच्च विद्यालय, तरैया एवं उच्च विद्यालय, माधोपुर में भवन के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय बनाना

*43. श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत बेलागंज प्रखंड के खनेटा पंचायत में मध्य विद्यालय, खनेटा है जिसमें लगभग 700 बच्चे पढ़ते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च विद्यालय में नामांकन हेतु दूसरे पंचायत के उच्च विद्यालय में जाना पड़ता है, जबकि मध्य विद्यालय, खनेटा के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने की सभी अर्हता पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, खनेटा को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*44. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखण्ड में स्थित विद्यापति +2 उच्च विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण विद्यालय प्रांगण में असामाजिक तत्वों के प्रवेश से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा आयोजित करवाना

*45. श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-124 लालगंज)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आर्यभट्ट कॉलेज विश्वविद्यालय, पटना में बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडीसीन एण्ड सर्जरी (बी०ए०एम०एस०) कोर्स में वर्ष 2021-22 में नामांकित छात्र एवं

छात्राओं का सेकेण्ड प्रोफेशनल ईयर की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, जबकि उसी वित्तीय वर्ष में बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में नामांकित छात्र एवं छात्राओं के परीक्षा का आयोजन नहीं किये जाने के कारण छात्र-छात्राओं में काफी आक्रोश है, यदि हाँ, तो सरकार बी०आर०ए०बी०यू० में बी०ए०एम०एस० का सेकेण्ड प्रोफेशनल ईयर की परीक्षा कबतक आयोजित करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*46. श्री शिव प्रकाश रंजन (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं इंटर की परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु केन्द्राधीक्षक एवं मूल्यांकन निदेशक की नियुक्ति में वरीयता का पालन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले में मूल्यांकन निदेशक/केन्द्राधीक्षक की नियुक्ति में वरीयता का अनुपालन नहीं किया गया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन भी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने और मूल्यांकन निदेशक की नियुक्ति में हुयी धांधली की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फुटबॉल के लिये स्टेडियम कर्णांकित करना

*47. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में फुटबॉल खेल की प्रैक्टिस के लिये एक भी स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला खेल पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 205, दिनांक 5 जून, 2024 तथा जिलाधिकारी, पटना के ज्ञापांक 1425, दिनांक 18 जुलाई, 2024 द्वारा अध्यक्ष, गर्दनीबाग एथलेटिक्स क्लब से गर्दनीबाग स्टेडियम को फुटबॉल स्टेडियम के रूप में कर्णांकित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गयी, परंतु आजतक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण फुटबॉल के खिलाड़ी फुटबॉल की समुचित प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फुटबॉल खेल को प्रोत्साहित करने हेतु गर्दनीबाग स्टेडियम को फुटबॉल के लिये कर्णांकित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*48. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा, नालंदा के विरुद्ध वित्तीय नियमावली के नियम 131 (घ) का उल्लंघन संबंधी मामले में प्रपत्र 'क' गठित करने का आदेश जिलाधिकारी, नालंदा द्वारा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित होने के उपरांत उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई अथवा सरकार को हुये वित्तीय नुकसान की भरपाई संबंधी कार्रवाई अभीतक नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुये सरकार को हुये वित्तीय नुकसान की भरपाई उनसे करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दिशा-निर्देश का अनुपालन

*49. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर, मुंगेर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं एवं सामान्य वर्ग की छात्राओं को सरकार द्वारा किये गए प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय में छात्रों को फीस में छूट या माफी दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बजट से छात्रों के फीस में क्षतिपूर्ति की बात कही थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शुल्क भरपाई हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*50. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर प्रखंड के तरार पंचायत के ग्राम-इमामगंज में रा०मध्य विद्यालय का भवन जर्जर है एवं कमरा के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*51. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के चापुक पंचायत के ग्राम-घोंघी में प्रस्तावित नवसृजित विद्यालय का निर्माण अभीतक नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण करने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का नाम बदलना

*52. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत वारूण प्रखण्ड में मॉडल स्कूल रा०कृ० देववंशी उच्च विद्यालय सुन्दरगंज के नाम से अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय राजस्व ग्राम-मिसिर कर्मा में स्थित है और इसी गाँव के लोगों द्वारा विद्यालय के लिए जमीन दान में दी गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के प्रबंध समिति के द्वारा विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल रा०कृ० देववंशी उच्च विद्यालय सुन्दरगंज मिसिर कर्मा करने हेतु एक प्रस्ताव लगभग दो माह पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का नाम मॉडल स्कूल राजकीयकृत देववंशी उच्च विद्यालय सुन्दरगंज मिसिर कर्मा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चाहरदीवारी का निर्माण

*53. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा सदर प्रखंड के +2 जनता उच्च विद्यालय जीवछघाट, दरभंगा का भवन, चहारदीवारी एवं अन्य कार्य हेतु एक वर्ष पूर्व कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है लेकिन प्राक्कलन के अनुरूप भवन का कार्य नहीं किया गया है और चहारदीवारी कार्य नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कार्य की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषी पर कार्रवाई के साथ कबतक चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा का निर्माण

*54. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर प्रखण्ड में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, महादलित टोला हरिशंकरपुर बघौनी, प्राथमिक विद्यालय वार्ड 9 फतेहपुरवाला अवस्थित है जिसमें छात्रों के नामांकन के अनुरूप कमरा नहीं रहने के कारण पढ़ाई में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुरूप कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मॉडल भवन का निर्माण

*55. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के इंदिरावती 10+2 हाई स्कूल साखमोहन एवं ईश्वरीय 10+2 हाईस्कूल, टभका को वर्ष 2022 में उत्क्रमित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों 10+2 हाईस्कूल में नामांकन की प्रक्रिया वर्ष 2022 से शुरू है, परन्तु 10+2 के छात्र-छात्राओं के लिए मॉडल भवन का निर्माण नहीं कराये जाने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों उत्क्रमित 10+2 विद्यालयों के लिए मॉडल भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*56. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा, पूर्वी चंपारण)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत मठगरीब निवासी भरोस पासवान की दिनांक 12 अक्टूबर, 2024 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी परंतु अबतक पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समकक्ष डिग्री कोर्स

*57. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज, अररिया)--क्या मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि असैनिक अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण और विद्युत् अभियंत्रण में डिप्लोमा प्राप्त कर राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कनीय अभियंताओं को अपनी योग्यता स्नातक अभियंत्रण स्तर पर बढ़ाने के लिए राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार इन्हें तकनीकी योग्यता उन्नयन हेतु बी०टेक० या समकक्ष डिग्री कोर्स करने की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*58. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अंतर्गत पालीगंज प्रखंड के चिकसी पंचायत के मोहनबीघा और चिड़ैयाटांड गाँव में तथा सिगोड़ी पंचायत के महाराजगंज और हादीनगर गाँव में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसमें उक्त गाँवों के छोटे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन गाँवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर वहाँ शिक्षा का प्रसार करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय बनाना

*59. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1934 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के द्वारा समस्तीपुर के दलसिंहसराय में राष्ट्रीय मध्य विद्यालय की नींव रखी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रपिता के द्वारा नींव एवं नामाकरण किये गए राष्ट्रीय मध्य विद्यालय को छात्रधारी उच्च विद्यालय में जोड़ दिया गया और उक्त विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय बनाकर अवक्रमित कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के द्वारा स्थापित मध्य विद्यालय को पुन: उत्क्रमित कर उसे मध्य विद्यालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शामिल करना

*60. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित साधन संपन्न मध्य विद्यालय को पीएम श्री योजना में शामिल कर देने से उसका ऐतिहासिक गौरव, महत्व एवं आस्तित्व समाप्त हो जाने वाला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि साधन संपन्न मध्य विद्यालय बरौली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित कई नामचीन सेनानियों की सभा एवं बैठक हुआ करती थी, जिसका गौरव इस विद्यालय को प्राप्त है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पीएम श्री योजना में उच्च विद्यालयों के नजदीक के साधनहीन मध्य विद्यालयों को सामायोजित करने का प्रावधान है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संसाधनहीन कन्या मध्य विद्यालय लकड़ी मंडी बरौली को पीएम श्री योजना में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*61. श्रीमती निशा सिंह (क्षेत्र संख्या-66 प्राणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आजमनगर प्रखंड के जोकर, मर्वतपुर, केलाबाड़ी, देवगांव, अमरसिंहपुर आदि पंचायत क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को डिग्री कॉलेज दूर होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राणपुर प्रखण्ड एवं आजमनगर प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण कबतक कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्मित विद्यालय भवन में पढ़ाई आरंभ कराना

*62. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के जैंतिया पंचायत में बुनियादी विद्यालय चौबे टोला के भवन का निर्माण कार्य लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ है, लेकिन इसमें पठन-पाठन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भवन में पठन-पाठन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*63. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड के मटौली ग्राम में प्राथमिक विद्यालय, मटौली का भवन निर्माण कार्य तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा विगत कई वर्षों से अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई के साथ राशि वसूली कर विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गर्मी की छुट्टी की व्यवस्था

*64. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 जून, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''भीषण गर्मी में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जाने को मजबूर मासूम'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहाँ प्रारम्भिक से उच्च विद्यालयों एवं कॉलेजों में गर्मी की छुट्टी होती है वहीं भीषण गर्मी में भी मासूम बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्र पर जाना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों के सेहत पर हिट स्ट्रोक, निमोनिया जैसी बीमारी का प्रभाव पड़ता है, जिला में औसतन तापमान 40 से 44 डिग्री तक रहता है, यदि हाँ, तो सरकार गर्मी के कारण बच्चों के सेहत पर पड़ रहे कुप्रभाव से बचाव के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भी गर्मी की छुट्टी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय का भुगतान

*65. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा वर्ष 2011 में नियुक्त किये गये प्रेरक शिक्षकों को 31 मार्च, 2018 को बिना सूचना दिये कार्य से हटा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 31 मार्च, 2018 को हटाये गये लगभग 19,000 प्रेरकों को सितम्बर, 2015 तक का ही मानदेय दिया गया है जबकि प्रेरक शिक्षक केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही के लिये अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे यथा जनगणना, पशुगणना, मानव श्रृंखला, बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रम आदि में योगदान दे रहे थे ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रेरकों के सितम्बर, 2015 से मार्च, 2018 तक के बकाया मानदेय का भुगतान तथा समानांतर योजना में इनके समायोजन का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मॉडर्न मदरसा के रूप में विकसित कराना

*66. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड-कोचाधामन में मदरसा इस्लामिया फैजूल गोरबा सेहनगाँव, मदरसा सं० 448 एवं मदरसा रहमानिया नई हाट सोंथा, मदरसा सं० 442 के भवन की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों मदरसों को अत्याधुनिक (मॉडर्न) मदरसा के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किराया भुगतान

*67. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के छौराही प्रखंड में कुल 129 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 87 आँगनबाड़ी केन्द्र किराया के मकान में चलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र का किराया वर्ष 2014 से बकाया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि आँगनबाड़ी केन्द्र का किराया राशि परियोजना बैंक खाता में उपलब्ध है परंतु केन्द्र के मालिक को भुगतान नहीं हो रहा है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्षों से लंबित आँगनबाड़ी केन्द्र का किराया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*68. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बथनाहा प्रखंड के सहियारा पंचायत के सुगाही ग्राम में प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय भवनविहिन होने से छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए अत्यधिक दूरी तय करना पड़ रहा है, जिससे बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहियारा पंचायत के सुगाही ग्राम में प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का सर्वांगीण विकास करना

*69. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला अंतर्गत मैरवा प्रखंड के उ०मा० विद्यालय, सेमरा को उत्क्रमित कर +2 का दर्जा दिया गया है, विद्यालय के पुराने भवन में ही वर्ग 01 से वर्ग 12 तक पढ़ाई होती है, जबकि भवन, भूमि, विद्यालय बाउंड्रीवॉल, पेयजल, वाई-फाई तक की समुचित व्यवस्था भी नहीं है जिसके कारण छात्रों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार विद्यालय का सर्वांगीण विकास कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*70. श्री अवध विहारी चौधरी (क्षेत्र संख्या-105 सिवान)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुशंसित सिवान विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्यालय भवन का निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु सूची विभाग को दी गई थी किन्तु अबतक एक भी योजनाओं को कार्यान्वयन नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त योजनाओं को कबतक कार्यान्वयन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैठने की व्यवस्था एवं शौचालय का निर्माण

*71. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में उप-निबंधन कार्यालय का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर कार्यालय संचालित है जहाँ बिक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत कुल 08 प्रखंड से भूमि निबंधन आदि कार्य कराने के लिए आमलोग आते हैं, जिससे हमेशा भीड़-भाड़ लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिक्रमगंज उप-निबंधन कार्यालय भवन में निबंधन कार्य के लिए आये आगंतुकों को बैठने एवं शौचालय का व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उप-निबंधन कार्यालय, बिक्रमगंज के परिसर में आमलोगों के लिए बैठने की व्यवस्था एवं शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय निर्माण

*72. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के गुरूआ प्रखंड अन्तर्गत कोलौना पंचायत के ग्राम झरहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम-झरहा में विद्यालय नहीं रहने से इस गाँव के नौनीहाल बच्चे शिक्षा ग्रहण हेतु 3 कि०मी० दूरी तय कर दूसरे गाँव में जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम-झरहा में विद्यालय निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इंटर विद्यालय की स्थापना

*73. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीवरावाँ प्रखण्ड अन्तर्गत धमौल पंचायत का मुख्यालय धमौल एक बाजार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि धमौल बाजार में इंटर विद्यालय नहीं रहने के कारण यहाँ के छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक धमौल बाजार में एक इंटर विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि का भुगतान

*74. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात् मृतक के आश्रित को 2 लाख मुआवजा राशि देने का प्रावधान है, परन्तु पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड स्थित पंचायत तारानगर, ग्राम-अख्तियारपुर के मन्नु कुमार, पिता-कृष्णनंदन राम की मृत्यु दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 को, प्रखंड-नौबतपुर, पंचायत-बारा, ग्राम-बारा के विशाल कुमार, पिता-शशिकांत पंडित की मृत्यु दिनांक 21 फरवरी, 2025 को एवं प्रखण्ड-बिक्रम, पंचायत-दनारा, ग्राम-दनारा के निरंजन राम, पिता-स्व राधा राम की मृत्यु दिनांक 12 फरवरी, 2025 को सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिसका सत्यापन विभाग द्वारा किये जाने के बावजूद आजतक आश्रित के परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*75. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दयानंद +2 उच्च विद्यालय, मीठापुर, पटना में फर्जी नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी द्वारा करोड़ों रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसके आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के पत्रांक 795, दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा त्रि-सदस्यीय जाँच कमिटी का गठन किया गया है एवं कार्रवाई कर फर्जी/शिक्षकेतर कर्मी का वेतन बंद कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त फर्जी नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी को हटाने का आदेश देते हुए करोड़ों रुपये की सरकारी राशि के दुरुपयोग में दोषी पदाधिकारियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यो ?

मुआवजा राशि विद्यालय विकास कोष में जमा कराना

*76. डॉ आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत कहरा प्रखंड के चैनपुर में एन.एच.चौड़ीकरण हेतु भूमि अर्जित करने के क्रम में भागीरथ उच्च विद्यालय, चैनपुर का चहारदीवारी एवं भवन को तोड़ा गया है, टूटे हुए भवन एवं चहारदीवारी का मुआवजा राशि लगभग चालीस लाख अड़तीस हजार छः सौ एक रुपये शिक्षा विभाग के खाता में जमा है, जिसका उपयोग आज तक नहीं हो पाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय चहारदीवारी विहीन होने के कारण विद्यालय में मौजूद सामग्री एवं छात्रों के सुरक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त राशि को विद्यालय विकास कोष में जमा करवाने एवं क्षतिग्रस्त टूटे हुए भाग में पुनः चहारदीवारी एवं भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शैक्षणिक वर्ष के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सीट की संख्या

*77. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा सभी अनुदानित एवं स्थाई मान्यताप्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों में वर्ष 2025-26 में छात्र/छात्राओं के नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य विषय (इतिहास, हिन्दी, भूगोल, जन्तु विज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं गृह विज्ञान) में सीटों की संख्या पिछले वर्ष के अनुपात में आधी कर दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्र/छात्राओं के नामांकन हेतु सीट घटने से छात्र/छात्राओं को

पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदानित एवं स्थाई मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में पूर्व के शैक्षणिक वर्ष के अनुरूप छात्र/छात्राओं की सीट की संख्या रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*78. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि उप-सचिव-शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक 1378, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के कंडिका 05 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक रहने के उपरान्त भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा सहित राज्य के अन्य प्रखंडों एवं प्रभारी उ0म0वि0 बलभद्र सराय के द्वारा नियम विरुद्ध विद्यालय की छुट्टी अवधि तक अंशकालिक अनुदेशक को विद्यालय में रहने के लिए बाध्य किया जाता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक को विद्यालय में रहने का समय निर्धारण का आदेश देते हुए विभागीय आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा हित अन्य पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्कूल बनवाना

*79. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के प्रखंड पुनपुन के ग्राम-बेल्दारीचक में प्राथमिक विद्यालय काफी जर्जर है जहां कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर स्कूल को बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज हेतु भूमि का चयन

*80. श्री अखतरुल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत-अमौर एवं बैसा जो सबसे पिछड़े प्रखण्ड है, को छोड़कर अन्य प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज खोलने हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक प्रखण्ड अमौर एवं बैसा में डिग्री कॉलेज खोलने हेतु भूमि का चयन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*81. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-10 रक्सौल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रक्सौल प्रखण्ड के लौकरिया पंचायत में बच्चा देवी नवसृजित प्राथमिक, डिबनी टोला में एक भी छतदार वर्ग कक्ष नहीं होने से बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*82. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के पताही प्रखंड अन्तर्गत जिहुली पंचायत में स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय, जिहुली में भवन नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार जिहुली उच्च विद्यालय में भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*83. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या-113 एकमा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा प्रखंड के पचुआ पंचायत के चकमीरा पोखरा स्थित अम्बेदकर स्मारक के पास सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम में दलित वर्ग की संख्या अधिक है, परंतु उनके आश्रय के लिये कोई भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत एकमा प्रखंड के पचुआ पंचायत के टोला + मौजा-पचुआ, थाना संख्या-124, खाता संख्या-320, खेसरा संख्या-3360 एवं रकबा-23-15-18 में से 60 फीट x 50 फीट भूमि पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है ।

उक्त स्थल पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

संस्था निबंधन शुल्क 50 रुपये करने हेतु

*84. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 बिहार में लागू है तथा अधिनियम की धारा 3 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन शुल्क रुपया 50 से अधिक नहीं हो सकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सोसाइटी निबंधन नियम, 2018 बनाकर सोसाइटी निबंधन शुल्क रुपया 50 से बढ़ाकर 15,000 से रुपया 25,000 निर्धारित किया है जो प्रावधानों के खिलाफ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिनियम से असंगत नियम नहीं बना सकती है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियम, 2018 के तहत निर्धारित निबंधन शुल्क 15,000 से 25,000 जो प्रावधानों के खिलाफ है उसको खत्म करके सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा 3 के तहत रुपया 50 करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवंटन देना

*85. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया नगर परिषद् के +2, आजाद एकेडमी अररिया में +2 विद्यालय हेतु प्राणीशास्त्र एवं कम्प्यूटर साइन्स को छोड़कर अन्य सभी विषयों के पढ़ाई का आवंटन प्राप्त है, प्राणीशास्त्र विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइन्स का आवंटन नहीं रहने के कारण शिक्षक का पद भी स्वीकृत नहीं है, जिससे विद्यार्थी दोनों विषयों का पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फलस्वरूप सभी का Result प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विषयों के पढ़ाई हेतु आवंटन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन

*86. श्री मनोज यादव (क्षेत्र संख्या-163 बेलहर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत बेलहर प्रखंड स्थित तेलिया कुमरी पंचायत के मध्य विद्यालय, बगधसवा, मध्य विद्यालय, तरौना, मध्य विद्यालय, सरदारा एवं प्राथमिक विद्यालय, हरदिया में बच्चों की पर्याप्त संख्या के बावजूद शिक्षकों की संख्या क्रमश: 02, 01, 02 एवं 01 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित विद्यालयों सहित तेलिया कुमारी पंचायत स्थित लगभग 17 विद्यालय एकल शिक्षकीय होने के कगार पर हैं, जिससे यहाँ के बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में विषयवार पर्याप्त शिक्षकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं शौचालय का निर्माण

*87. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर प्रखंड के लालपुर-सरोपट्टी पंचायत के सरोपट्टी मुसहरी टोला स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय (एन0पी0एस0) भवनविहीन है तथा उक्त विद्यालय में शौचालय सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं रहने के कारण बच्चे (छात्र एवं छात्राओं) तथा पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन एवं शौचालय सहित अन्य आधारभूत सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव का चहारदीवारी का निर्माण

*88. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत प्रखंड शेरघाटी में बस पड़ाव की चहारदीवारी निर्माण हेतु टेंडर एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूरी हो जाने के बावजूद अभीतक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तथा पिंक बस का संचालन शेरघाटी से गयाजी तक नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बस पड़ाव की चहारदीवारी का निर्माण एवं पिंक बसों का संचालन करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

यात्री शेड के साथ शौचालय का निर्माण

*89. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सिकटा प्रखंड के बैशखवा एवं मैनाटांड़ प्रखंड के इनरवा में यात्री शेड और शौचालय नहीं है, जिससे यात्रियों खासकर महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों स्थलों पर यात्री शेड के साथ शौचालय बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*90. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत प्रखंड कोटवा में जसौली पंचायत के ग्राम-विशुनपुर जसौली के वार्ड नम्बर 7 में कोई विद्यालय नहीं है जिस कारण अनुसूचित जाति के बच्चों को प्राथमिक स्तरीय शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, जबकि इस गाँव में सरकारी गैर-मजरुआ भूमि खाता नम्बर-621, खेसरा नम्बर-3959, रकबा-4 (चार) कट्ठा उपलब्ध है जो नये विद्यालय सृजन करने की सभी शर्तें पूरी करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाना

*91. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के बिहपुर प्रखंड में बिहपुर दक्षिण पंचायत के सोनबरसा ग्राम में उच्च विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनबरसा ग्राम में मध्य विद्यालय, सोनबरसा दियारा है, जो उच्च विद्यालय में उत्क्रमण के मापदंड को पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, सोनबरसा दियारा को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण

*92. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर, नालन्दा)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखंड के ग्राम पंचायत नारायणपुर के टोला माधोपुर के मौजा-माधोपुर अमनार के महादलित टोला के थाना संख्या-30, खाता संख्या-56, खेसरा नम्बर-20/255 में जिलाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 1779, दिनांक 10 जून, 2023 तथा स्थानीय क्षेत्रीय विकास, हिलसा के पत्रांक 1821, दिनांक 21 नवम्बर, 2023 द्वारा सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी द्वारा उक्त जमीन को सीमांकन भी करा दिया गया है, परंतु स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण कार्य बाधित किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बाधा को दूर करते हुये कबतक सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कार्य पूर्ण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त भवन का निर्माण कराना

*93. श्री राम सिंह (क्षेत्र संख्या-4 बगहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा 1 प्रखंड के ग्राम पंचायत राज टेसरहिया बथुवरिया के मानपुर मठिया मध्य विद्यालय में भवन के अभाव में बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विद्यालय में सिर्फ तीन कमरे हैं, जिसमें एक कमरा कार्यालय के लिये उपयोग किया जाता है, जबकि उक्त विद्यालय में बच्चों की संख्या 775 से अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुये कबतक विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कलाकारों को बढ़ावा देना

*94. श्रीमती प्रतिमा कुमारी (क्षेत्र संख्या-127 राजा पाकर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में आयोजित होने वाले वैशाली महोत्सव, महनार महोत्सव, महुआ महोत्सव के साथ-साथ बिहार के अन्य जिलों में मनाये जाने वाले अन्य महोत्सवों में कार्यक्रम प्रस्तुति के लिये गायन एवं लोक कलाकारों को बाहर से बुलाये जाने के कारण स्थानीय लोक कलाकारों की उपेक्षा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महोत्सवों में बाहरी कलाकारों की बजाय स्थानीय लोक कलाकारों को बढ़ावा देने हेतु कोई सकारात्मक पहल प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*95. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड के खैरखाँ पंचायत के +2 मधुबनी हाई स्कूल, खैरखाँ में चहारदीवारी निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण कई बार विद्यालय की संपत्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है साथ ही छात्र-छात्राओं को शिक्षण में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित +2 मधुबनी हाई स्कूल, खैरखाँ के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

'क'-*96. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बायसी विधान सभा अन्तर्गत बायसी अनुमंडल में 2023 से कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद रिक्त होने से अनुमंडल के लोगों को शपथ-पत्र तथा अन्य न्यायिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*97. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला में डिग्री अनुदानित संजय गाँधी स्मारक महिला महाविद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्राप्त डिग्री अनुदान वित्तीय वर्ष 2011-14 (30,09510 रु०) वर्ष 2012--15 (67,25,400 रु०) एवं वर्ष 2013--16 में (49,89,000 रु०) के वितरण में महाविद्यालय के सचिव एवं प्रधानाचार्य द्वारा अनुदान राशि के बंटवारे में अनियमितता की गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्रांक 94/2024, दिनांक 09 मई, 2024 को अनियमितता की जाँच सूची सहित अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा-सह-सदस्य तदर्थ समिति, संजय गाँधी स्मारक महिला महाविद्यालय को पत्र देने पर पत्रांक 177, दिनांक 22 मई, 2024 को जाँचदल का गठन कर दिनांक 27 मई, 2024 को प्रतिवेदन की मांग की गई थी ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदान राशि बंटवारे में अनियमितता करने वाले सचिव एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट:-'क'--मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पत्रांक 3889, दिनांक 11 जुलाई, 2025 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित।

वर्ग कक्ष निर्माण

*98. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत प्रखंड बहादुरगंज के UHS नटूवापाड़ा एवं USH महेशबथना में पर्याप्त वर्ग कक्ष नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बच्चों के नामांकन में गिरावट

*99. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 मई, 2025 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य के सरकरी स्कूलों में शिक्षक बढ़े, बच्चे हो रहे कम'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 77 हजार 924 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 तक वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ 09 लाख बच्चों, शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 2.01 करोड़ एवं शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 01 करोड़ 73 लाख 6 हजार 297 बच्चों का नामांकन हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 4 वर्ष पूर्व शिक्षकों की संख्या 4.35 लाख थी जो अब बढ़कर 5.96 लाख हो गई है, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद वर्णित शैक्षणिक सत्रों में बच्चों के नामांकन 10 से 15 फीसदी की कमी आयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बच्चों के नामांकन में आई गिरावट को रोकने हेतु कौन-सा उपाय कबतक करना चाहती है ?

भवन (हॉल) का निर्माण

*100. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेलसंड नगर पंचायत के गुरू चरण हाई स्कूल में बच्चों के मीटिंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु भवन (हॉल) नहीं रहने के कारण कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में मीटिंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु भवन (हॉल) का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*101. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के कर्मचारी के द्वारा विगत दो वर्षों से फर्जी अंक पत्र और एडमिट कार्ड बेचने का मामला प्रकाश में आया है परंतु अभीतक उसपर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रोक नहीं लगायी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में फर्जी अंक पत्र और एडमिट कार्ड बेचने वाले रैकेट की उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय को उत्क्रमित करना

*102. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0-29 में स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय, बाघा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया गया है जिसके कारण उक्त वार्ड के पिछड़ा, अतिपिछड़ा एवं दलित समुदाय के छात्र/छात्राओं को उच्च विद्यालय के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाई हो रही है तथा लगभग 50 प्रतिशत छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार छात्र/छात्राओं के हित में उक्त विद्यालय को कबतक उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*103. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नं0-15 आनन्दपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आनन्दपुर का भवन जर्जर में है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के जर्जर भवन के स्थान पर छात्र-छात्राओं के अनुपात में नया भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज का निर्माण

*104. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा, पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में पूर्णियाँ जिला के जलालगढ़ प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है जबकि इस प्रखंड के उच्च विद्यालय, रौंगता के बगल 75 एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खाली पड़े सरकारी जमीन पर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जन्म-स्थली को विकसित करना

*105. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला में जॉर्ज आरवेल की जन्म-स्थली मोतिहारी शहर के एस0 एन0 एस0 कॉलेज एवं सत्याग्रह पार्क के पास स्थित है जिसके जीर्ण-शीर्ण होने के कारण अस्तित्वहीन हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इनकी जन्म-स्थली को कबतक विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*106. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 (हिसुआ))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम पंचायत सलिमापुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सलिमापुर संस्कृत और प्राथमिक विद्यालय बाजितपुर तखत के प्रभारी प्रधानाध्यपकों द्वारा विद्यालय कैशबुक, भण्डारण पंजी और एम०डी०एम० संचालन में भारी वित्तीय अनियमितताएं किये गये है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में हो रहे भष्ट्राचार की जांच एवं प्रधानाध्यकों पर कार्रवाई के लिये स्थानीय सलिमापुर पंचायत के मुखिया द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, सारण से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों की वित्तीय भष्ट्राचार की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन सुविधा

*107. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड के गुरूदह गौस नगर पंचायत के श्री जामुन भगत को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि 3 वर्ष पूर्व तक मिलती थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय गलती की वजह से श्री जामुन भगत का नाम परिवर्तित होकर वर्तमान में ''जामुन खातुन'' हो गया है, जिसके कारण उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री जामुन भगत की समस्या का समाधान करवाते हुये बकाया पेंशन राशि के साथ-साथ वर्तमान में भी उन्हें पेंशन सुविधा से लाभान्वित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*108. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय अगैया का भवन अर्द्धनिर्मित है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड अंतर्गत वारी इंटर स्तरीय का भी भवन जर्जर है एवं भवन की कमी के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*109. डॉ० संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खेल विभाग द्वारा प्रखंडस्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य होना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत गोगरी प्रखंड के शेर चकला पंचायत के दीना चकला ग्राम के वार्ड 4 में स्थित सतीश किशन उच्च विद्यालय के मैदान में आउटडोर स्टेडियम निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से खेलप्रेमियों और आमजनों में निराशा है एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा प्रभावित हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण

*110. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत प्रखंड खिजरसराय में राजाजी उच्च विद्यालय केबड़ी स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में प्रर्याप्त भूमि उपलब्ध रहने के बावूजद भी बच्चों के खेल-कूद एवं मनोरंजन के लिये स्टेडियम का निर्माण सरकार द्वारा नहीं कराया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भूमि में स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय का निर्माण

*111. श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़, कैमूर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ विधान सभा अंतर्गत प्रखंड नुआँव एवं प्रखंड दुर्गावती में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार का यह संकल्प है कि जिस भी प्रखंड में सरकारी महाविद्यालय नहीं है, उस प्रखंड में एक सरकारी महाविद्यालय का निर्माण कराया जायेगा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में एक-एक सरकारी महाविद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

खेल मैदान को खेलों इंडिया के तहत विकसित करना

*112. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखंड के ग्राम-डुमरी, पंचायत-डुमरी शाहपुर के प्राथमिक विद्यालय का अपना खेल मैदान है, जिसका रकबा-1 एकड़ 70 डिसमिल है तथा जिसका खाता संख्या 233 एवं प्लॉट संख्या 435 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खेल मैदान में मिट्टी भराई एवं चहारदीवारी नहीं होने से जमीन में बहुत गड्डे एवं उबड़-खाबड़ हो गया है, जिससे कि उक्त मैदान में खेल संबंधी कोई गतिविधि नहीं हो पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान को खेलों इंडिया अथवा अन्य किसी योजना के तहत विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन की मरम्मती

*113. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के तरैया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ईशुआपुर प्रखंड के शांतिरमण प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, साढ़वारा, ईसुआपुर में पूर्वी भवन के जर्जर होने के कारण छात्राओं के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*114. श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिलान्तर्गत बेलागंज प्रखंड में बाजितपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, कानाबिगहा भवन के अभाव में सामुदायिक भवन, कानाबिगहा में चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र-छात्राओं सहित शिक्षकों को विद्यालय भवन नहीं रहने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विद्यालय के पास अपना भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्राथमिक विद्यालय कानाबिगहा का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना

*115. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब, मिड-डे-मील आदि का खर्च मिलाकर प्रति माह प्रति बच्चा 6000 रुपये खर्च होते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में दिनांक 2 जून, से 20 जून, 2025 तक लगाये गये समर कैंप में कुल 12 लाख बच्चे सम्मिलित हुये जिसमें से 6 लाख बच्चे जोड़ घटाव करने तथा पैराग्राफ पढ़ने व बोलने में असमर्थ रहे है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये कौन-से कदम कबतक उठाने का विचार रखती है ?

दोषियों पर कार्रवाई

*116. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 (अस्थावां))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां विधान सभा के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली पाठ्य पुस्तकों का वितरण का कार्य अभीतक पूरा नहीं हुआ है, जबकि शिक्षण सत्र आधा से ज्यादा गुजर चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अधूरे वितरण के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये शेष बचे छात्र-छात्राओं को यथाशीघ्र पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण दूसरे स्थान पर कराना

*117. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाऊदनगर प्रखंड के पंचायत तरारी के ग्राम तरारी में सूर्यमंदिर के पास सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हेतु भूमि का चयन 4 माह पूर्व किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चयनित प्लांट के पास गोरेया जी का मंदिर और बरगद सहित 137 अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुये हैं, साथ ही 50 फीट के दूरी पर हनुमान जी, सूर्य भगवानजी, विश्वकर्मा जी एवं अन्य मंदिर है, जहां पूजा हेतु पर्यटक प्रत्येक वर्ष आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण दूसरे स्थान पर कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*118. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत गोह प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, महद्दीपुर एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, फाग में बिना प्रबंध समिति के बैठक एवं बिना अध्यक्ष के आदेश के रात्रि प्रहरी की नियुक्ति किया गया है, जो नियम संगत नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने रिश्तेदारों एवं पोषक क्षेत्र से बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जाँच कर दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*119. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मनीगाछी प्रखंड के कटमा बहुअरवा, ब्रहमपुर सहित अन्य गावों में विद्यालय का भवन निर्माण कराने हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना द्वारा निविदा संख्या 47, वर्ष 2023-24, ग्रुप संख्या एस०एस०एस० 2036 से निविदा निकाली गयी थी, लेकिन अभीतक उक्त विद्यालयों का भवन का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों का भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*120. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र के मोरवा प्रखण्ड में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरपुर भिंडी में छात्र-छात्राओं के नामांकन के अनुरूप कमरा नहीं है और उच्च विद्यालय का अपना भवन भी नहीं है जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला में सुधार कर पेंशन राशि का भुगतान करना

*121. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के प्रखंड विभूतिपुर पंचायत-चकहबीब, ग्राम-साहपुर परोही, वार्ड 04 के श्री मणिकांत झा, पिता-स्व० मुन्नीलाल झा, जिनका लाभार्थी संख्या 000008638650 है, SSPMIS लाभार्थी संख्या 21411770000425122 है, परन्तु ई-लाभार्थी पोर्टल पर भुगतान की स्थिति देखने पर जिला-सहरसा, ब्लॉक-सोनबरसा, पंचायत-रघुनाथपुर, ग्राम-रघुनाथपुर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लाभार्थी का जिला परिवर्तन होने के कारण जीवन प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण विगत ढ़ाई वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान लम्बित तथा गंगीया देवी, पति-राम ना० राय, खेमी टोल नरहन विभूतिपुर एवं राम उदगार शर्मा, पिता-रामदित शर्मा, रहियार, कुंची शिवाजीनगर का भी पेंशन सूचना मिस मैच होने के कारण नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त लाभार्थी का जिला सुधार कर पेंशन राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

संरक्षित जैविक उद्यान के रूप में विकसित करना

*122. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज, अररिया)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में 289 एकड़ में फैला हुआ एक वृक्ष वाटिका है जिसमें अनेक प्रजातियों के पेड़-पौधे, पक्षी और पशु जैसे हिरण आदि विचरण करते दिख जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वृक्ष वाटिका को एक संरक्षित जैविक उद्यान के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*123. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय स्थित छत्रधारी उच्च विद्यालय में लगभग 2500 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मानक के अनुसार उक्त विद्यालय को 40 कमरों के स्थान पर मात्र 15 कमरें हैं जो जर्जर हो चुके हैं और 9 वर्ष पूर्व ही इसे त्यक्त घोषित किया जा चुका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा उपरोक्त विद्यालय के भवन निर्माण के लिये कई बार सरकार को पत्र लिखा गया है जिसपर कोई कार्रवाई नहीं हुयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 9 वर्षों से त्यक्त भवन के स्थान पर नये भवन का निर्माण नहीं कराने के लिये दोषियों पर कार्रवाई करते हुये मानक के अनुसार कमरों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जंगली जानवरों द्वारा हो रहे फसल क्षति के रोक-थाम

*124. श्री रामप्रवेश राय (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला अन्तर्गत बरौली, मांझा सहित अन्य प्रखंडों के किसानों की फसल को नीलगाय, जंगली सुअर एवं घोड़ापड़ास द्वारा क्षति पहुंचाने से किसान अत्यंत परेशान हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बरौली प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-नेहरी एवं कमालपुर में बंदरों के आतंक से लोग डरे-सहमे रह रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जंगली जानवरों द्वारा हो रहे फसल क्षति के रोकथाम के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*125. श्री राम विशुन सिंह (क्षेत्र संख्या-197 जगदीशपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड में स्वार्थ हाई स्कूल स्थित है परंतु वहां खेल स्टेडियम नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं को खेल-कूद में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्कूल में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विषयवार शिक्षक का पदस्थापन कराना

'ख'*126. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कोचाधामन में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, डेरामारी अवस्थित है जिसमें वर्ग 9वीं से 12वीं तक के विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है जिसके कारण विषयवार शिक्षा से छात्र-छात्राएँ वंचित रह जा रहे हैं यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में वर्ग 9वीं से 12वीं तक के विषयवार शिक्षक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*127. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के गुरारू प्रखंड के पहरा पंचायत के ग्राम-पहरा तथा पटैया प्रखंड के ग्राम-महमदा में मध्य विद्यालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों मध्य विद्यालय मात्र 2 कमरों में संचालित हो रहा है, जिससे उक्त दोनों विद्यालय में छात्रों तथा शिक्षकों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लम्बित वेतन का भुगतान

*128. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड नौबतपुर, पंचायत गोनवा के ग्राम-खासपुर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति द्वारा रात्रि प्रहरी के पद पर दिनांक 10 अगस्त, 2022 से नियुक्त श्री दिलीप कुमार का 22 महीने का प्रखंड-नौबतपुर, पंचायत बारा के ग्राम-बारा में स्थित धनेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी के पद पर दिनांक 15 जनवरी, 2025 से नियुक्त श्री शम्भु पासवान का 5 महीने का एवं प्रखंड बिहटा, पंचायत मचहलपुर लई के ग्राम-लई में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी के पद पर दिनांक 01 अप्रील, 2011 से नियुक्त श्री हरेन्द्र शर्मा का 14 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त रात्रि प्रहरियों के लम्बित वेतन का भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई

*129. श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कौशल्या संस्कृत उच्च विद्यालय महुआ, वैशाली में फर्जी नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी से करोड़ों रुपया की सरकारी राशि के दुरूपयोग पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार के पत्रांक 615, दिनांक 8 मार्च, 2025 के द्वारा त्रि-स्तरीय जाँच कमिटी गठनोपरान्त कार्रवाई कर फर्जी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मी का वेतन बंद की गयी है, हाँ, तो सरकार फर्जी नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मी को कबतक हटाने का आदेश के साथ दोषी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट— 'ख'-शिक्षा विभाग के पत्रांक-518, दिनांक 10 जुलाई, 2025 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में स्थानान्तरित ।

प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय में परिणत

*130. डॉ० आलोक रंजन (क्षेत्र संख्या 75 सहरसा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कहरा प्रखंड के ढोली गाँव में कोई मध्य विद्यालय नहीं है, जिसके कारण गाँव के बच्चे खासकर छात्राओं को पांचवी कक्षा के बाद गाँव से पाँच किलोमीटर की दूरी तय कर अन्य गाँव पठन-पाठन के लिए जाना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ढोली गाँव से अन्य गाँव की दूरी अधिक होने के कारण छात्राओं को विद्यालय जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ढोली गाँव में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय में परिणत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*131. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या 216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के आलोक में एक-एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है तथा विभागीय पत्रांक 1111, दिनांक 09 अप्रील, 2025 के माध्यम से डिग्री कॉलेज खोलने हेतु राज्य के सभी जिलों के समाहर्ता को पत्र जारी कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के मढ़ौरा प्रखंड के सलीमापुर पंचायत के नेथुआ ग्राम में डिग्री कॉलेज खोलने हेतु 5 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन मौजूद है, जिसका खाता नं० 17, 84, सर्वे नं० 549, 550, 558, 569 एवं थाना नं० 52 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण

*132. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या 20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड अंतर्गत खड़तरी पूर्वी पंचायत में स्थित जगरनाथ साह उच्च विद्यालय में भवन नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार जगरनाथ साह उच्च विद्यालय में भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*133. श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र संख्या 113 एकमा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड मांझी में शिव कैलाश उच्च विद्यालय, मटियार में चहारदीवारी नहीं होने से पशुओं तथा असामाजिक तत्वों की उपस्थिति के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 22 जुलाई, 2025 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 12 (एल०ए०), 2025-26 डी०टी०पी० -550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025